

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — अर्जून बड़ाई बगैरह ।

बनाम

वाद सं० 01/2023

द्वितीय पक्ष — रंजीत महतो, बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
03/11/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 25/2023 दिनांक 28/12/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) अर्जून बड़ाई उम्र 23 वर्ष पिता बरात बड़ाई ग्राम +थाना कामडारा, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) रंजीत महतो उम्र 22 वर्ष पिता स्व० धुरा महतो ग्राम+थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं० 217, प्लॉट सं० 2519, रकबा 0.04 एकड़ भूमि को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन थाना कामडारा से अप्राप्त है :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।	



अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।